छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 444/2007</u>

1.	**श्री बसंत कुमार सतनामी,** **ग्राम–देमार, विकासखण्ड–धमतरी** **जिला– धमतरी (छत्तीसगढ़)**	–	**अपीलार्थी**

विरूद्ध

1.	**जन सूचना अधिकारी,** **सरपंच, ग्राम–देमार, विकासखण्ड–धमतरी** **जिला– धमतरी (छत्तीसगढ़)**	–	**प्रतिअपीलार्थी**

//आदेश//
(दिनांक 28 सितंबर, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री बसंत कुमार सतनामी ने दिनांक 16.01.2007 को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन जन सूचना अधिकारी, सरपंच, ग्राम पंचायत, देमार को प्रस्तुत किया था तथा दिनांक 7.2.2007 को उनके द्वारा शुल्क जमा कराई गई और गरीबी रेखा का कार्ड भी उनके द्वारा लगाया गया था । उक्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु वहॉं से भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 27.04. 2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं जन सूचना अधिकारी, सरपंच को राशि 25 हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु रजिस्ट्रर्ड डाक से नोटिस भेजने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे, अत: उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी की सुनवाई की गई । इस संबंध में कलेक्टर को भी अवगत कराकर जानकारी दिलाने के लिए कहा गया था और उनके द्वारा मुख्य कार्यपानल अधिकारी, जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सरपंच और अपीलार्थी दोनों को बुलाया था । सरपंच से जानकारी प्राप्त कर दिनांक 6.9.2007 को उपलब्ध कराने पर अपीलार्थी द्वारा जानकारी लेने से इंकार किया गया, उन्होंने सरपंच को यह भी निर्देशित किया था कि आयोग के समक्ष उपस्थित होकर उत्तर प्रस्तुत करे, किन्तु आयोग

के समक्ष अभी-तक उपस्थित नहीं हुये । अत: उपरोक्त स्थिति में जन सूचना अधिकारी, सरपंच द्वारा प्रकरण में जानकारी देने में हुआ

विलंब सिद्ध होता है, तथा उनके द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत नहीं किया गया, चूंकि उनके द्वारा जनपद पंचायत में जानकारी दी गई है, अत: इस तथ्य को ध्यान में रखकर उदार रूख अपनाते हुए अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत राशि दस हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित की जाती है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी को चाही गई जानकारी एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त हो जावे और यह सुनिश्चित किया जावे कि उनसे पावती लेकर आयोग को प्रस्तुत करे । प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 500/- रूपये अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त